



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
(Shakti Bhawan, Lucknow)

संख्या : 212-प्रशि0-10/पांकालि/2011-7-प्रशि0/2010

दिनांक : 22 फरवरी, 2011

गतिआवश्यक

- | | |
|---|--|
| 1. संयुक्त सचिव (स0प्र0)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन
लखनऊ। | 2. अधीक्षण अभियन्ता
विद्युत आयात-निर्यात एवं भुगतान मण्डल
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन विस्तार,
लखनऊ। |
| 3. अधीक्षण अभियन्ता
ऊर्जा कय अनुबन्ध निदेशालय
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन विस्तार,
लखनऊ। | 4. मुख्य अभियन्ता (प्रशि0 एवं मा0सं0वि0)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
विद्युत प्रशिक्षण संस्थान परिसर,
सरोजनी नगर, लखनऊ। |
| 5. अधीक्षण अभियन्ता
वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन विस्तार,
लखनऊ। | 6. अधीक्षण अभियन्ता,
कम्प्यूटराईजेशन इकाई
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन विस्तार,
लखनऊ। |
| 7. अधीक्षण अभियन्ता
प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन विस्तार,
लखनऊ। | 8. अधीक्षण अभियन्ता
रेगुलेटरी अफेयर यूनिट
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन विस्तार,
लखनऊ। |
| 9. उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन,
लखनऊ। | 10. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन विस्तार,
लखनऊ। |

विषय :- उ0प्र0 विद्युत सुधार (उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अधिकारियों और कर्मचारियों का उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 में अन्तरण) स्कीम-2010 के क्रियान्वयन हेतु गठित 'कार्मिक आमेदन समिति' को विकल्प-पत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उ0प्र0 विद्युत सुधार (उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अधिकारियों और कर्मचारियों का उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 में अन्तरण) स्कीम-2010 के अन्तर्गत अन्तरण स्कीम की अनुसूची-क (ख) (अंश संलग्न) में आच्छादित कार्मिकों के उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 में स्थायी आमेदन हेतु आवश्यक कार्यवाही के

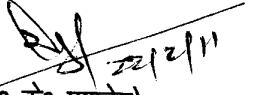
सम्बन्ध में शासन द्वारा 'कार्मिक आमेलन समिति' का गठन किया गया है। अन्तरण स्कीम के प्राविधानों के अनुसार अन्तरण स्कीम की अनुसूची-क (ख) में आच्छादित उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के ऐसे कार्मिक जो उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० में अपना स्थायी आमेलन चाहते हैं उनके स्थायी आमेलन का विकल्प देने हेतु विकल्प-पत्र 10 प्रतियों में प्रेषित किया जा रहा है। आपसे निवेदन है कि अपने अधीनस्थ सभी कार्मिकों से विकल्प-पत्र की प्राप्ति (Acknowledgement) की प्रति पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर उपसचिव (प्रशि०) कमरा सं०-610, शक्ति भवन (मु०) लखनऊ को अवश्य उपलब्ध करा दें। विकल्प-पत्र भरते समय निम्नलिखित बातों को अवश्य ध्यान में रखा जाये :-

1. सभी स्तर के कार्मिकों हेतु विकल्प प्रपत्र एक ही है।
2. कारपोरेशन में विकल्प-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 31-03-2011 है।

अपने अधीनस्थ कार्यरत कार्मिकों को अवगत करा दें कि यदि विकल्प-पत्र दिनांक 31-03-2011 तक उपसचिव (प्रशि०) कमरा सं०-610, शक्ति भवन, कारपोरेशन मुख्यालय में नहीं प्राप्त होते हैं तो समिति द्वारा माना जायेगा कि सम्बन्धित कार्मिक उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० में आमेलित नहीं होना चाहता है।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,



(आर० के० पाण्डेय)

अपर सचिव (का०प्र०-०१)

एवं संयोजक आमेलन समिति

अनुसूची-क
कृपया नियम 3(2) देखें

पारेषण उपक्रम के कार्मिकों के अन्तरण के लिए व्यवस्थायें :

(क) नीचे सूची में यथा दर्शित उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड की इकाइयों से सम्बन्धित कार्मिक अपने अधीनस्थ कार्यालयों सहित अन्तरण के प्रभावी दिनांक को पारेषण कम्पनी को अन्तरित माने जाएंगे :

1. मुख्य अभियंता (पारेषण), लखनऊ { उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड के आदेश सं० 151 दिनांक 21 अप्रैल, 2010 के अनुसार वर्तमान में मुख्य अभियन्ता (आपरेशन) एवं मुख्य अभियन्ता (प्रोजेक्ट) }।
2. मुख्य अभियंता (पारेषण मध्य), लखनऊ।
3. मुख्य अभियंता (पारेषण पूर्व), इलाहाबाद।
4. मुख्य अभियंता (पारेषण पश्चिम), मेरठ।
5. मुख्य अभियंता (पारेषण दक्षिण), आगरा।
6. मुख्य अभियंता (सिविल) पारेषण- I, लखनऊ।
7. मुख्य अभियंता (सिविल) पारेषण- II, लखनऊ (शक्ति भवन मुख्यालय के अधीक्षण अभियंता एवं इनके अधीनस्थ कार्यालयों को छोड़कर)।
8. मुख्य अभियंता (संचार एवं नियंत्रण), लखनऊ (विद्युत निर्यात आयात एवं भुगतान मण्डल को छोड़कर)।
9. मुख्य अभियंता (ए०पी०टी०पी०), लखनऊ।
10. मुख्य अभियंता (परिकल्प एवं क्रय), लखनऊ।
11. मुख्य अभियंता (ऊर्जा प्रणाली), लखनऊ/एसएलडीसी जिसमें समस्त एएलडीएस सम्मिलित हैं।
12. मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियन्ता, पारेषण, नियोजन एवं ऊर्जा संगठन।

(ख) उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड को अन्तरित किये जाने हेतु उ० प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड की निम्नलिखित इकाइयों से कार्मिकों (पदों) को चिन्हित किया गया:-

1. उ० प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड मुख्यालय (अनुसूची- ख के अनुसार पद)
2. विद्युत आयात-निर्यात एवं भुगतान मण्डल (अनुसूची- ख के अनुसार पद)
3. ऊर्जा क्रय अनुबन्ध निदेशालय (अनुसूची- ख के अनुसार पद)
4. मानव संसाधन एवं विकास संगठन (अनुसूची- ख के अनुसार पद)
5. वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा (अनुसूची- ख के अनुसार पद)
6. कम्प्यूटरीकरण इकाई (अनुसूची- ख के अनुसार पद)
7. प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट (अनुसूची- ख के अनुसार पद)
8. रेगुलेटरी अफेयर यूनिट (अनुसूची- ख के अनुसार पद)
9. मुख्यालय लेखा सवर्ग (अनुसूची- ख के अनुसार पद)
10. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) (अनुसूची- ख के अनुसार पद)

टिप्पणी:-

1. उ० प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड से उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड को पदों के स्थानान्तरण पर उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, संस्थागत जरूरतों को ध्यान में रख कर कार्मिकों (पदों) की मांग की सूक्ष्म परीक्षण/समीक्षा करेगा और पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव यदि कोई है, सक्षम अधिकारी को अनुमोदन/स्वीकृति हेतु भेजेगा।
2. यदि अन्तरक या अन्तरिती के निदेशक मण्डल के कुछ कार्यों से कुछ पदों के नाम बदल जाते हैं तो उक्त बदले हुए पदनाम वर्तमान स्थिति में स्वतः लागू होंगे।

विकल्प-पत्र

पावर कारपोरेशन मुख्यालय/विद्युत आयात-निर्यात एवं भुगतान मंडल/ऊर्जा कय अनुबन्ध निदेशालय/मुख्य अभियन्ता (प्रशि० एवं मा०सं०वि०) संगठन/वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा इकाई/कम्प्यूटरीकरण इकाई/प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट इकाई/रेगुलेटरी अफेयर यूनिट/मुख्यालय लेखा संवर्ग/मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) कार्यालय में कार्यरत कार्मिकों हेतु

शासन की अधिसूचना सं०-2074/24/पी-2/2010 दिनांक 23-12-2010 में निहित प्राविधान के अन्तर्गत अनुसूची 'ख' में आच्छादित कार्मिकों के स्थाई रूप से/अन्तिम आमेलन किये जाने हेतु

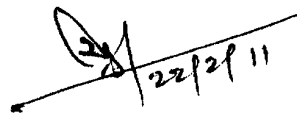
1. कार्मिक का नाम :
2. पदनाम :
3. वर्तमान तैनाती स्थल :
4. वर्तमान खण्ड/मण्डल/परियोजना का नाम :
5. तैनाती की तिथि : वर्तमान पद पर : वर्तमान क्षेत्र/इकाई
6. क्या आप निम्नलिखित वर्ग के हैं :
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति/अन्य आरक्षित श्रेणी (जो लागू न हो काट दें)

7. कार्मिक के पिता/पति का नाम :
8. जन्म तिथि (अंकों एवं शब्दों में) :
9. गृह जनपद :
10. योग्यता : (क) शैक्षिक : (ख) व्यावसायिक :

11. विशिष्ट प्रशिक्षण विवरण :

12. मैं, उ०प्र० ऊर्जा सुधार (उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के अधिकारियों और कर्मचारियों का उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० में अन्तर्गण) स्कीम-2010 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० में स्थाई आमेलन हेतु विकल्प-पत्र दे रहा हूँ/दे रही हूँ : (विकल्प-पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तिथि 31-03-2011 निर्धारित की गयी है। विकल्प-पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में 'आमेलन समिति' द्वारा माना जायेगा कि सम्बन्धित कार्मिक उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० में आमेलित नहीं होना चाहता है।)
13. पूर्व सेवाकाल में विभिन्न स्कन्धों में तैनाती की कुल अवधि (वर्षों में)

क्र०सं०	स्कन्ध का नाम	तैनाती की अवधि/पदनाम	तैनाती की कुल अवधि (वर्षों में)
1.	वितरण		
2.	पारेषण		
3.	शक्ति भवन, (मु०)		
4.	अन्य		


22/2/11

(2)

14. मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि उक्त सूचनायें मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतया सत्य हैं और कुछ भी छिपाया नहीं गया है। यदि इसमें कोई असत्यता/भ्रम पाया गया तो उसका पूर्ण दायित्व मेरा होगा।

दिनांक :

हस्ताक्षर :
कार्मिक का पूरा नाम :
एवं पदनाम तथा पता :
अभिज्ञान संख्या (अभियन्ता अधिकारियों हेतु) :

15. इकाई प्रमुख की संस्तुति

दिनांक :

हस्ताक्षर :
नाम :
पदनाम :
कार्यालय की मोहर :